अनुदान संख्या 102 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 102 – PUBLIC WORKS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*1,00,00*	*17,03*	*-82,97*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*70,00*
स्वीकृत–	Voted–		1371,55,00	1367,93,55	-3,61,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,60,00
पूंजीगत:	**Capital :**				
प्रभारित–	*Charged–*		*1,00,00*	*25,35*	*-74,65*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*73,00*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	541,87,00	541,89,00	487,36,37	-54,52,63
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,48,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नानुसार हुईं:-

(I) *₹30.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹52.97 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 76 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *₹30.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) Under one head saving of *₹52.97 lakhs* occurred constituting 76 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2059” लोक निर्माण कार्य	Major Head “2059” Public Works				
मू.	O.	137155.00	136995.00	136793.55	-201.45
पु.	R.	-160.00			

(I) “कार्यालय भवन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना” - ₹1230.34 लाख की बचत (₹13577.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “उचंत”

(क) “स्टाक” - ₹251.37 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में मुख्य निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिए सामग्रियों का अनुबंध न किए जाने के कारण हुई।

(ख) “विविध निर्माण कार्य अग्रिम” - ₹228.78 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) “अन्य भवन - रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना” के अंतर्गत ₹447.56 लाख की बचत (₹5567.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) “सामान्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under “Office Buildings”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment” - saving of ₹1230.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13577.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries.

(B) “Suspense”-

(a) “Stock” – saving of ₹251.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-stipulation of materials for major works projects in the tender process.

(b) “Miscellaneous Works Advances” - saving of ₹228.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(II) Under “Other Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹447.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5567.50 lakhs); and

(III) Under “General” – savings occurred under the following heads:-

(का) “निदेशन और प्रशासन” -

(क) “वास्तुशिल्पीय योजना” - ₹100.59 लाख की बचत (₹2890.81 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत और शिक्षा शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(ख) “निदेशन” - ₹1449.13 लाख की बचत (₹13589.81 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और आर्थिक उपायों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “कम्प्यूटरीकरण स्कीम” - ₹172.94 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटरों की अधिप्राप्ति संबंधी बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - भूमि और विकास भवन” - ₹232.52 लाख की बचत (₹982.52 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और आर्थिक उपायों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹76.12 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) “कार्यालय भवन - पट्टा प्रभार - स्थानीय निकायों आदि को किराया, दरों और करों की अदायगी” - ₹1691.72 लाख का अधिक व्यय (₹13537.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया और बिजली बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) “Direction and Administration” –

(a) “Architectural Planning” - saving of ₹100.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2890.81 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards salaries, leave travel concession and tuition fees.

(b) “Direction” – saving of ₹1449.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13589.81 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and economy measures.

(c) “Scheme of Computerisation” - saving of ₹172.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for procurement of computers.

(B) “Other Expenditure – Land and Development Office - saving of ₹232.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹982.52 lakhs) was due to requirement of less funds towards salary and economy measures.

(IV) Under one head saving of ₹76.12 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) “Office Buildings – Lease Charges – Payment of Rent, Rates and Taxes to Local bodies etc.” – excess of ₹1691.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13537.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of rent and electricity bills.

(II) "सामान्य - निदेशन और प्रशासन" -

(का) "निष्पादन" - ₹1539.77 लाख का अधिक व्यय (₹44839.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "सामान्य स्थापना" - ₹143.24 लाख का अधिक व्यय (₹993.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "संरचनात्मक योजना" - ₹287.95 लाख का अधिक व्यय (₹8324.81 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत और शिक्षा शुल्क के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹74.65 लाख* की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 75 प्रतिशत थी।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

(II) "General – Direction and Administration" –

(A) "Execution" – excess of ₹1539.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44839.65 lakhs);

(B) "Ordinary Establishment" - excess of ₹143.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹993.96 lakhs); and

(C) "Structural Planning" - excess of ₹287.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8324.81 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards salaries, leave travel concession and tuition fee.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of *₹74.65 lakhs* occurred under one head constituting 75 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	45450.00			
पू.	S.	2.00	45380.00	45203.47	-176.53
पु.	R.	-72.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	2000.00	1710.00	802.44	-907.56
पु.	R.	-290.00			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	6237.00	5537.00	2316.74	-3220.26
पु.	R.	-700.00			

(I) ₹51.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹51.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4059" – savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन - निर्माण-भवन" - ₹317.43 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Office Buildings - Construction – Buildings" – saving of ₹317.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs) was due to economy measures.

(खा) "सामान्य - निर्माण-वित्त(राजस्व)" - ₹1460.30 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(B) "General –Construction – Finance (Revenue)" - saving of ₹1460.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works.

(III) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - सामान्य - भवन" के अंतर्गत ₹1197.56 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under Major Head "4202" – "General Education – General – Buildings" - saving of ₹1197.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "4250" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "श्रम - भवन" - ₹1830.13 लाख की बचत (₹2925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "रोजगार - भवन" - ₹2090.13 लाख की बचत (₹3312.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत संबंधित विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹140.82 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 27 प्रतिशत थी।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1465.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "4059" - सामान्य निर्माण" के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "भारत का उच्चतम न्यायालय" - ₹965.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹962.18 लाख था।

(खा) "लेखा परीक्षा" - ₹500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹499.80 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - लोक सभा" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹122.87 लाख का अधिक व्यय (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(IV) Under Major Head "4250"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Labour – Buildings" - saving of ₹1830.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2925.00 lakhs); and

(B) "Employment – Buildings" – saving of ₹2090.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3312.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of administrative approval/ expenditure sanction from the client departments.

(V) Under two heads savings of ₹140.82 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 17 percent and 27 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (₹1465.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2013 under Major Head "4059" – "General – Construction" - under the following heads:-

(A) "Supreme Court of India" – ₹965.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹962.18 lakhs.

(B) "Audit" – ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹499.80 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4059" – "General – Construction – Lok Sabha" – excess of ₹122.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to executing agencies for ongoing works.